राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 20(1)साप्र/2/15 जयपुर, दिनांक :– 1/7/15

–: आदेश :–

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में 'एफ'–टाईप श्रेणी (स्वतंत्र), की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं:–

क.सं	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री कर्म चंद शर्मा, मेल नर्स–II, अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ–44, गांधीनगर (4/80, गांधीनगर के स्थान पर)	31.3.2040	338
2	श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, मेल नर्स–II, अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	एफ–67, गांधीनगर (4/126, गांधीनगर के स्थान पर)	31.8.2040	339
3	श्री जगेश्वर प्रसाद शर्मा अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, प्रतापनगर सेक्टर–29, सांगानेर, जयपुर	एफ–423, गांधीनगर (4/70, गांधीनगर के स्थान पर)	30.09.2023	340
4	श्रीमती नीलम देवी पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार नर्स ग्रेड–II अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ–122, गांधीनगर (4/84, गांधीनगर के स्थान पर)	29.2.2040	341
5	श्री गणेश पंवार, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	एफ–120, गांधीनगर (4/69, गांधीनगर के स्थान पर)	31.1.2035	342
6	श्री मनोहर लाल बैरवा, सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एफ–183, गांधीनगर (4/96, गांधीनगर के स्थान पर)	30.6.2034	343
7	श्री अनुराग महावर, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	एफ–191, गांधीनगर (4/63, गांधीनगर के स्थान पर)	29.2.2028	344

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूंकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।

2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नही किया है।

8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, प्रतापनगर, सेक्टर-29, सांगानेर, जयपुर।
13. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग-खण्ड-तृतीय/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गॉधीनगर, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
16. सम्बन्धित कर्मचारीगण को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द करवाते हुए इस विभाग को सूचित करवावें।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव